

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक 8(31)त.शि/2016

जयपुर, दिनांक 17 जनवरी 2017

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंषानुसार राज्यपाल महोदय निम्न अभ्यर्थी को जिनकी जन्मतिथि उनके नाम के सामने अंकित है, कार्यभार संभालने की तिथि से प्रवक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स के पद पर राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 (अभियांत्रिकी) के अंतर्गत अभ्यर्थी को वेतन श्रंखला 15600-39100 में न्यूनतम ग्रेड पे 5400/-रु में नियत वेतन 22180/- में अस्थायी रूप से 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है-

S.no	Name & Address of Candidate	Category & Merit no	Date of Birth	Place of posting
1	श्री हरिओम मीना पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद मीना, ग्राम व पोस्ट- हुडला, तहसील महवा, जिला दौसा,	ST,LD M-41	21.12.1989	राजकीय पोलि0 महाविद्यालय दौसा

- उक्त अभ्यर्थी को 2 वर्ष तक परीक्षाकाल के लिये मासिक स्थिर परिलाभ रूपये अभ्यर्थी (बी.टेक)को 22180/-पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
- परीक्षाकाल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, अर्थात् परीक्षाकाल को वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जायेगा।
- परीक्षाकाल में स्थिर परिलाभों में से कोई कटौतियाँ (यथा जी.पी.एफ एवं स्टेट इश्योरेंस) नहीं की जायेगी और इन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं कार्यग्रहण करने पर यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा।
- 2 वर्ष का परीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें प्रवक्ता पद की वेतन श्रंखला 15600-39100 (बी.टेक अभ्यर्थियों को ग्रेड पे 5400/- देय होगी तथा परीक्षाकाल की समाप्ति पर इन्हें वेतन श्रंखला में न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।
- वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13(1) एफ डी/रूल्स/2003 दिनांक 29.1.2004 के अनुसार इनकी नियुक्ति पर पेंशन नियम के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।


कमश:.....2

प
C-1
18/01

3/17/11

5. वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13(1) एफ डी/रूल्स/2003 दिनांक 29.1.2004 के अनुसार इनकी नियुक्ति पर पेंशन नियम के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
6. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति वित्त नियम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दि.13.3.06, एफ 12(6) एफ डी/रूल्स/05 दिनांक 13.3.06, एफ 13(1)एफ डी/रूल्स/06 दिनांक 13.3.06, के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अधीन होगी।
7. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्नक मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15(1)डीओपी/ए-11/74 दिनांक 1.1.75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी एवं तत्पश्चात ही कार्यग्रहण कर सकेंगे।
8. पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि में पदस्थापन आदेश पर अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर इनकी नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।


आज्ञा से


(एम.एम. सेतिया)

संयुक्त सचिव त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र एफ 7(56)भर्ती/“क”/2013-14/1958 दिनांक 24.11.2016 के क्रम में।
4. निदेशक प्राविधिक शिक्षा, राजस्थान जोधपुर।
5. संबंधित संस्था प्रधान को भिजवाकर लेख है कि कृपया उपरोक्त अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यभार ग्रहण करने दिया जायेगा।
6. अभ्यर्थी श्री अमित पुत्र श्री किशनलाल वार्ड नं 15, नई सब्जी मंडी के पीछे, नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान पिन सं 332713, (रजिस्टर्ड पत्र से)
7. निजी/रक्षित पत्रावली



(अब्दुल रजाक)

सहायक शासन सचिव त.शि.

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक 10(30)त.शि/2016

जयपुर, दिनांक 07 जनवरी 2017

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंषा पर राज्यपाल महोदय निम्न अभ्यार्थी को जिनकी जन्मतिथि उनके नाम के सामने अंकित हैं, कार्यभार संभालने की तिथि से प्रवक्ता, टेक्सटाइल डिजाइन के पद पर राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 (गैर-अभियांत्रिकी) के अंतर्गत वेतन श्रंखला 15600-39100 में न्यूनतम ग्रेड पे 5400/-रु. में नियत वेतन 22180/- में अस्थायी रूप से 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है-

S.no	Name & Address of Candidate	Category & Merit no	Date of Birth	Place of posting
1	श्री अमित पुत्र श्री किशनलाल वार्ड नं 15, नई सब्जी मंडी के पीछे, नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान पिन सं 332713	SC M-03	3.12.1991	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर

1. उक्त अभ्यार्थी को 2 वर्ष तक परिवीक्षाकाल के लिये मासिक स्थिर परिलाभ रूपये अभ्यार्थी को 22180/- पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
2. परिवीक्षाकाल में इन्हे कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, अर्थात् परिवीक्षाकाल को वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जायेगा।
3. परिवीक्षाकाल में स्थिर परिलाभों में से कोई कटौतियां (यथा जी.पी.एफ एवं स्टेट इंश्योरेंस) नहीं की जायेगी और इन्हे प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं कार्यग्रहण करने पर यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा।
4. 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें प्रवक्ता पद की वेतन श्रंखला 15600-39100 ग्रेड पे 5400/- देय होगी तथा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर इन्हे वेतन श्रंखला में न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।

P
वेबसाइट पर अपलोड कराया
18/01

31/17/11

क्रमशः.....2

6. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति वित्त नियम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1(2)एफ डी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, एफ 12(6) एफ डी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, एफ 13(1)एफ डी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006, के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अधीन होगी।
7. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्नक मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15(1)डीओपी/ए-11/74 दिनांक 01.01.1975 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी एवं तत्पश्चात ही कार्यग्रहण कर सकेंगे।
8. पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि में पदस्थापन स्थान पर अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर इनकी नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

आज्ञा से

—Sd—

(एम.एम सेतिया)

संयुक्त सचिव त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र एफ 7(50)भर्ती/“क”/2013-14/1946 दिनांक 10.11.2016 के क्रम में।
4. निदेशक प्राविधिक शिक्षा, राजस्थान जोधपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय पोलि. महाविद्यालय दौसा को भिजवाकर लेख है कि उपरोक्त अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यभार ग्रहण करने दिया जायेगा।
6. अभ्यर्थी श्री हरिओम मीनापुत्र श्री गिर्राज प्रसाद मीना, ग्राम व पोस्ट— हुडला, तहसील महवा, जिला दौसा, (रजिस्टर्ड पत्र)
7. निजी/रक्षित पत्रावली

हज्जत रजाक

(अब्दुल रजाक)

सहायक शासन सचिव त.शि.